न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 74/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. इन्द्रसिंह पिता सज्जनसिंह जी राजपूत, निवासी सतावल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. महेन्द्रसिंह पिता सज्जनसिंह जी राजपूत, निवासी सतावल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलेक्टर उदयपुर दि.
16–08–2016 प्रकरण सं. 2/2016

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

–––::–––

निर्णय **दिनांक 13–11–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार वल्लभनगर ने पटवारी हल्का बासड़ाखुर्द की रिपोर्ट दिनांक 12–10–2015 के आधार पर ग्राम सतावल की आराजी नंबर 127 रकबा 3 बीघा पर अतिक्रमण पाये जाने के पर अपीलान्टगण को संयुक्त नोटिस जारी किये गये, जो सज्जनसिंह को तामिल हुए। सज्जनसिंह को तामिल होने के बाद दिनांक 15–10–2015 को इन्द्रसिंह व्यक्ति रूप से उपस्थित हुए। इसके बाद पुनः आगामी तारीख पेश दिनांक 19–11–2015 को अपीलान्ट अतिक्रमी के अनुपस्थित रहने से अधिनस्थ न्यायलय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 641/2015 से बेदखली एवं फसल नीलामी के आदेश पारित किये।

उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने प्रकरण संख्या 2/2016 निर्णय दिनांक 16–08–2016 से प्रथम अपील खारिज कर दी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–11–2016 को प्रस्तुत की गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सूचना नहीं दी गयी, जिस कारण अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार की ओर राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थिति हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने मीमों आफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया एवं दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णयों को अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने दोनों अधिनस्थ न्यायालय के निर्णयों को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होकर कयासी आधारों पर है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पुराने कब्जे बाबत् रिपोर्ट पेश किये जाने के बावजूद उस पर काई ध्यान नहीं दिया है। इस आराजी में अन्य कब्जेधारियों को भूमि आवंटित कर दी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल आकड़ों की पूर्ति के लिए इस प्रकार का आदेश पारित किया है तथा पेश शुदा दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय साईक्लो स्टाईल होकर विधिवत पारित निर्णय नहीं है। अपीलान्ट सद्भावी कृषक होकर पुराने कब्जा होने से नियमन की पात्रता रखते हैं।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पेश शुदा रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किये गये हैं वह सज्जनसिंह पर तामिल हुए हैं तथा पेशी दिनांक 15–10–1015 को इन्द्रसिंह उपस्थित हुआ है, तद्नुसार अपीलान्ट को उक्त

निर्णय की जानकारी होना स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा टंकित निर्णय पारित नहीं कर रिक्त स्थानों की पूर्ति की गयी है, परन्तु उक्त पूर्ति किस प्रकार से विधि विरूद्ध है, यह अपीलान्ट ने नहीं बताया है तथा उनके द्वारा इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके विपरीत समस्त ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गयी है, जिसमें यह कथन किया गया है कि विवादित आराजियात पर गांव के मवेशी चरते हैं तथा इन्दरसिंह राजकीय कर्मचारी होकर सम्पन्न परिवार से है तथा उसके खाते में अन्य भूमियां दर्ज हैं। उक्त शिकायत पर तमाम ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं तथा इस बाबत् तहसीलदार की दिनांक 24—07—1996 की पर्चा मौका रिपोर्ट भी पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1984 पेज 45 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को माने जाने का कथन किया गया है। इस प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना पूरी तरह से स्पष्ट है, तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1984 पेज 156 प्रस्तुत की है जो भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित है। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर आर.आर.डी. दिनांक 14—10—2009 भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है, क्योंकि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना पूरी तरह से स्पष्ट है।

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार के यहां बावजूद सूचना अपने पुराने अतिक्रमण बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय में जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 पेश की है, जिसमें विवादित आराजी नंबर 127 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा मिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत् 2032 से 2045 प्रस्तुत की है, जिसमें आराजी नंबर 127 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होकर विभिन्न व्यक्तियों को भूमि आवंटित किये जाने का नोट लगा हुआ है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में खसरा परिवर्तनशील वर्ष 2006—07 से 2015—16 संवत् 2062, 2063, 2064 अपीलान्ट के कब्जे बाबत् प्रस्तुत की है तथा धारा 91 के अतिक्रमण बाबत् नोटिस सन् 1994, 1995, 2008, 2009,

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 तक की प्रस्तुत किये हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कतिपय वर्षो में कब्जा रहा है, परन्तु उक्त कब्जा निरन्तर रहा हो, इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अपीलान्ट यदि नियमन की पात्रता रखता है तो उसके द्वारा जब अन्य व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी थी तो आवेदन क्यों नहीं पेश किया, इस बाबत् कोई कथन नहीं है। इसके अतिरिक्त भी यदि वह नियमन की पात्रता रखता है तो अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन क्यों नहीं किया, इस बाबत् कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1996 पेज 539 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अतिक्रमी की पात्रता राजकीय भूमि पर होने से राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के तहत नियमन किये जाने के निर्देश हैं, परन्तु अपीलान्ट द्वारा नियमन की पात्रता रखे जाने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (7) 2000 पेज 304 पेश की है जो आदेश 41 नियम 27 जा.दी. से संबंधित है, तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलान्ट द्वरा राजकीय भूमि पर अपने पुराने अतिक्रमण को साबित नहीं कराया है तद्नुसार तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा जो बेदखल का शास्ति बाबत् आदेश पारित किया गया है उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर ने साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जिसमें भी हम किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर जिला कलक्टर न्यायालय, उदयपुर का निर्णय दिनांक 16–08–2016 एवं तहसीलदार वल्लभनगर का निर्णय दिनांक 19–11–2015 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर